

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 953 / 2020

दिनांक 15.03.2022

श्रीमती ममता व्यास (RJ0212), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को दिनांक 17.02.2022 से 27.02.2022 तक 11 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती व्यास की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
15.03.2022
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/18/1996/2153

दिनांक : 15.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को उनके पत्रांक 05 दिनांक 28.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती ममता व्यास (RJ0212), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द।

15.3.2022
सहायक रजिस्ट्रार